न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या — 08 / 2023

प्रविष्टि दिनांक — 12.10.2023

जरिये रामभजन मीणा प्रर्वतन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

— प्रार्थी

बनाम

मै0 दीपक प्रोविजनल स्टोर, सबीलशाह की चौकी, टोंक शहर

— अप्रार्थी

जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार — प्रार्थी की ओर से
2— अप्रार्थी — स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक** 07.02.2024

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 07.10.2023 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै. दीपक प्रोविजन स्टोर, सबीलशाह की चौकी, टोंक शहर में फर्म के प्रोपराईटर श्री दीपक जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण क्रय—विक्रय तथा 14.2 KG घरेलू गैस सिलेण्डर से 5 व 3 किलोग्राम के छोटे सिलेण्डरों में गैस अन्तरण की शिकायत की जॉच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर फर्म की दुकान की जॉच करने पर 14.2 KG क्षमता के 8 सिलेण्डर एवं 5 KG के 2 एवं 3 KG के 2 सिलेण्डर पाये गये। फर्म प्रोपराईटर से उक्त सिलेण्डर के भण्डारण बाबत वैध अनुज्ञा पत्र या अन्य दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये तथा भण्डारण बाबत कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। व्यवसायी द्वारा एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन करने के कारण उक्त 12 सिलेण्डर मौके पर जब्त किये गये जिसकी फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0स0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1.	70888T	Relience	14.2	16.0	26.6	10.6
2.	6978465	HP	14.2	15.8	15.8	NIL
3.	8779905	BPC	14.2	16.0	30.0	14.0
4.	886728	BPC	14.2	16.1	20.1	04.0
5.	141206T	BPC	14.2	16.8	28.0	11.20
6.	85588	BPC	14.2	16.3	28.0	11.07
7.	005623T	IOC	14.2	15.5	15.5	NIL
8.	672422B	IOC	14.2	15.5	15.5	NIL
9.	बिना नम्बर बिना मार्का के	-	5	5	5	NIL
10		-	5	5	5	NIL
11		-	3	3	3	NIL
12		-	3	3	3	NIL
	योग					51.50 KG

व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 51.50 KG एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 07.10.2023 को जिला रसद अधिकारी टोंक के नेतृत्व में प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह प्रवर्तन अधिकारी के साथ मै. दीपक प्रोविजन स्टोर, सबीलशाह की चौकी, टोंक शहर में फर्म के प्रोपराईटर श्री दीपक जैन द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण क्रय–विक्रय तथा 14.2 KG घरेलू गैस सिलेण्डर से 5 व 3 किलोग्राम के छोटे सिलेण्डरों में गैस अन्तरण की शिकायत की जॉच हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर फर्म की दुकान की जॉच करने पर 14.2 KG क्षमता के 8 सिलेण्डर एवं 5 KG के 2 एवं 3 KG के 2 सिलेण्डर पाये गये। फर्म प्रोपराईटर से उक्त सिलेण्डर के भण्डारण बाबत वैध अनुज्ञा पत्र या अन्य दस्तावेज मांगे गये जो मौके पर प्रस्तुत नहीं किये गये तथा भण्डारण बाबत कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध भण्डारण, क्रय–विक्रय एवं अन्तरण करने के कारण व्यवसायी द्वारा एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन करने के कारण उक्त 12 सिलेण्डर मौके पर जब्त किये गये जिसकी फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 51.50

जिला कलेक्टर
टोंक

KG एलपीजी गैस जब्त किया गया तथा जब्त गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक इण्डेन टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रतिनिधि श्री महेन्द्र मारवाडी की सपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डरो मय 51.50 KG एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 07.10.2023 के अनुसार मै. दीपक प्रोविजन स्टोर, सबीलशाह की चौकी, टोंक शहर कि दुकान की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 8 सिलेण्डर एवं 5 KG के 2 एवं 3 KG के 2 सिलेण्डर पाये गये। कुल 12 घरेलू गैस सिलेण्डरो को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से भण्डारण, क्रय–विक्रय एंव अन्तरण कर दुरूपयोग किये जाने पर उनको जब्त किया गया। सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	70888T	Relience	14.2	16.0	26.6	10.6
2.	6978465	HP	14.2	15.8	15.8	NIL
3.	8779905	BPC	14.2	16.0	30.0	14.0
4.	886728	BPC	14.2	16.1	20.1	04.0
5.	141206T	BPC	14.2	16.8	28.0	11.20
6.	85588	BPC	14.2	16.3	28.0	11.07
7.	005623T	IOC	14.2	15.5	15.5	NIL
8.	672422B	IOC	14.2	15.5	15.5	NIL
9.	बिना नम्बर बिना मार्का के	-	5	5	5	NIL
10.		-	5	5	5	NIL
11.		-	3	3	3	NIL
12.		-	3	3	3	NIL
	योग					51.50 KG

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यो में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 12 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर रामसिंह,महेन्द्र तथा दीपक जैन के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे

जिला कलेक्टर
टोंक

पर भी रामसिंह, महेन्द्र व दीपक जैन के हस्ताक्षर है तथा महेन्द्र मारवाडी प्रतिनिधि टोक इण्डेन टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण,क्रय–विक्रय एंव अन्तरण कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 12 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 51.50 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर ★ राजस्थान

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
जिला कलेक्टर
टोंक